



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275219
CG-DL-E-05082026-275219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4155]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948

No. 4155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

का.आ. 4331(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण नियम, 2023 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के साथ पठित भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का 13) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में पुनः नामनिर्देशित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 7 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.3508(अ), तारीख 7 अगस्त, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (12) से (14) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(12) डॉ. रसिक रवींद्र, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र,
गोवा-403804।

विशेषज्ञ सदस्य

608, लल्लेश्वरी अपार्टमेंट, सेक्टर 21डी, फ़रीदाबाद-121002।

- (13) डॉ. बी.एन. संजीवन, पूर्व निदेशक, समुद्री सजीव संसाधन और विशेषज्ञ सदस्य
पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि।
16सी, विंध्य वाईएमजे रोज, एजीआई टीचर लेन, उत्तरी जनता रोड,
पलारीवट्टोम, एर्नाकुलम-682025।
- (14) डॉ. बिमल पटेल, कुलपति, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, लावड दहेगाम, विशेषज्ञ सदस्य ;”
गांधीनगर-382305।

[फा.सं. एमओईएस/पीएसीईआर/अंटार्कटिक अधिनियम/सीएजी-ईपी/2023पीसी-1]

गंगिरेड्डी श्रीनिवासराम, संयुक्त सचिव

टिप्पण –मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ.3508(अ) तारीख 7 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2026

S.O. 4331(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Indian Antarctic Act, 2022 (13 of 2022), read with sub-rules (2) and (3) of rule 41 of the Indian Antarctic Environmental Protection Rules, 2023, the Central Government hereby re-nominate the following persons as expert members of the Committee for a period of three years from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Earth Sciences number S.O. 3508 (E), dated the 7th August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th August, 2023, namely:—

In the said notification, for serial numbers (12) to (14) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely: —

- “(12) Dr. Rasik Ravindra, Former Director, National Centre for Polar and Ocean Research, Goa- 403 804. 608, Lalleshwari Apartment, Sector 21D, Faridabad-121 002. expert member;
- (13) Dr. V.N. Sanjeevan, Former Director, Centre for Marine Living Resources and Ecology, Kochi. expert member;
16C, Vindhyas YMJ Road, Agi Teacher Lane, North Janata Road,
Palarivattom, Ernakulam-682 025.
- (14) Dr. Bimal Patel, Vice Chancellor, Rashtriya Raksha University, Lavad expert member;”.
Dahegam, Gandhinagar-382 305.

[F. No. MoES/PACER/Antartic Act/CAG-EP/2023 PC-1]

GANGIREDDY SREENIVASARAO, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3508 (E), dated the 7th August, 2023.